

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10571/4437

दिनांक :- 24/09/19

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका पाटिदार [लिंक न. 10571] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), उदयपुर - [1584] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

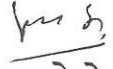
दिनांक 08/10/2018 से 12/10/2018 तक 5 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 11/06/2019 से 14/06/2019 तक 4 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

दिनांक 18/06/2019 से 28/06/2019 तक 11 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 20 दिवस

उक्त कुल 20 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका पाटिदार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10571/4437

दिनांक :- 24/09/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मोनिका पाटिदार [10571] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)